

JCMS- 2020/00224

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी घनश्याम बजाज उर्फ घनश्याम दास पुत्र चिमन लाल जाति अरोडा आयु 64 वर्ष जाति मजबी निवासी 6ई24 जवाहर नगर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी को गवाहान दीपक सुखीजा पुत्र तरसेम लाल एवं आलोक सचदेवा पुत्र अशोक कुमार की पहचान श्री एस.पी.सिंह खुराना अधिवक्ता श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

15/11/20
22/11/20

जिला पंजीयक महोदय

4